3/4/18 पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अधिवक्ता अनुपस्थित। तीन बार आवाज लगाई गई लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतिक्रमी को 25/04/18 को नोटिस तामिल हुआ उसके पश्चात अनेक बार जवाब/साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया लेकिन अतिक्रमी अथवा उनके अधिवक्ता द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि गैरसायल इस संदर्भ में कुछ भी कहना नहीं चाहते है एवं किसी प्रकार का साक्ष्य (न्याय संगत) भी नहीं है। अतः गैर सायलान को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। निर्णय अलग से लिखा जाकर प्रस्तुत है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

नायब तहसीलदार सिणधरी

वर्ष 2018-19 के राजस्व लेखा पंजिका सं. 4 के पृष्ठ सं. 2 पर क्र.सं. 2 पर जुर्माना/फसल निलामी राशि रू. 200+1500 = 1700 की मांग दर्ज की गई।

13.7.18

तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील सिणधरी

Scanned by CamScanner

(देखिये नियम 3)

नोटिस

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

न्यायालय नायब तहसीलदार सिणधरी

प्रकरण स0 37/2018 संवत 2074 सन 2018

राज्य सरकार बजरिये पटवारी बनाम मांगाराम वल्द हीराराम कलबी
सा॰ गोलिया जीवराज

पटवारी हल्का गोलिया जीवराज ने रिर्पोट पेश कर सूचित किया कि आप मौजा गोलिया जीवराज के खसरा नम्बर 27 किस्म भूमि गै॰मु॰ गोचर रकबा 10-07 बीघा में से 02-10 बीघा भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया हैं।

इसके द्वारा आपको नोटिस दिया जाता हैं कि आप दिनांक 05/03/2018 से पूर्व भूमि को खाली कर दे अथवा स्वयं या लीडर द्वारा दिनांक 05/03/2018 को **10.30 बजे पूर्वान्ह** अदालत हाजा में हाजिर होवें तथा हेतुक दर्शित करे कि आपको वहां से बेदखल क्यों नही किया जावे। आपसे यह हेतुक दर्शित करने की भी अपेक्षा की जाती है कि उक्त भूमि पर उक्त प्रकार विधि विरूद्ध किये गये अतिक्रमण के लिये विधि सम्मत शास्ति क्यों न अधिरोपण की जावे। आपसे यह दर्शित करने के आपको तीन माह तक की अवधि के लिये क्यों नही सिविल कारावास सुपुर्द कर दिया जावे वार्षिक लगान का निर्धारण जैसी भी स्थिति हो के 50 गुणा तक की शास्ति सदमय करने की अपेक्षा की जाती हैं।

यह भी ध्यान रहे कि उक्त तारीख, समय तथा स्थान पर हाजिर होने में आपके असफल रहने पर उक्त मामला आपकी गैर हाजिर होने में आपके असफल रहने पर उक्त मामला आपकी गैर हाजरी में निश्चित किया जावेगा।

आज दिनांक 19/02/2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(मुहर: न्यायालय नायब तहसीलदार सिणधरी (बाड़मेर))

नायब तहसीलदार सिणधरी

नायब तहसीलदार, सिणधरी

Scanned by CamScanner